रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072024-255647
CG-DL-E-23072024-255647

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946
No. 387] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 424(अ).— निम्नलिखित मसौदा अधिसूचना, जिसे केंद्र सरकार जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम 1975 में संशोधन करने के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है, जनता और अन्य हितधारकों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा, इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना को केंद्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को डाक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पते: mishra.vp@gov.in या prasoon.tripathi76@gov.in पर भेज कर ऐसा सकता है।

सा.का.नि....(अ)—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 06) की धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (डक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(1) इन नियमों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 में, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा:

(1) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे:

"(कक) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 45ख के तहत नियुक्त/अधिसूचित किसी अधिकारी से है;

(2) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जा सकेंगे:

(छक) ''प्रस्तुतकर्ता अधिकारी'' का तात्पर्य **परिशिष्ट-क** के अनुसार अधिकारियों (या) उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों से है जो अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर अधिनियम के प्रावधानों के गैर-अनुपालन (या) उल्लंघन का संज्ञान लेते हैं तथा मामले पर कार्रवाई शुरू करते हैं और संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करते हैं।"

(3) उपनियम (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा:

"(ञक) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम और उक्त नियमों, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है।"

3. अध्याय XI और नियम 35 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय और नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

अध्याय XII

नियम 36. न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति

(1) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पर्यावरण विभाग का प्रभारी सचिव (या) राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे के स्तर का न हो, संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए *पदेन* न्यायनिर्णायक अधिकारी होगा।

(2) केंद्र सरकार (i) केंद्रीय स्तर पर न्यायनिर्णयन अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हो, तथा (ii) किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में या तो स्वयं द्वारा अथवा संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के लिखित अनुरोध पर एक से अधिक न्यायनिर्णयन अधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव के स्तर से नीचे न हो, नियुक्त कर सकती है।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जो भी स्थिति हो, द्वारा अपेक्षित कार्मिक सहायता, कार्यालय स्थान और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

नियम 37: मामलों का संज्ञान और उन पर कार्रवाई

(1) कोई भी न्यायनिर्णायक अधिकारी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों या निदेशों के किसी भी गैर-अनुपालन या उल्लंघन का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि ऐसा मामला प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, या तो स्वयं: अपने प्रस्ताव से या किसी अभ्यावेदन की प्राप्ति पर शुरू नहीं किया जाता है।

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी गैर-अनुपालन या उल्लंघन का संज्ञान लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में मामले को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष, उसमें उल्लिखित क्षेत्राधिकार के अनुसार, प्रस्तुत करेंगे। अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट -क** में दी गई है।

(3) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियम 37(1) के अंतर्गत मामले को न्यायनिर्णायक अधिकारी को अग्रेषित करने से पहले, उचित तत्परता बरतते हुए उस पर कार्यवाही करेगा, ताकि उन सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को रिकार्ड में लाया जा सके, जिन्हें जुर्माना लगाने के लिए ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि उस मामले पर न्यायनिर्णयन आवश्यक है।

नियम 38: न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच का तरीका

(1) किसी मामले की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, न्यायनिर्णायक अधिकारी संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ-साथ उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध गैर-अनुपालन या उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, उसके विरुद्ध

मामले के विवरण में गैर-अनुपालन या उल्लंघन की प्रकृति को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए, ऐसे प्रारूप में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, नोटिस जारी करेगा, और ऐसा व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, निर्दिष्ट तिथि को, जो नोटिस जारी किए जाने की तारीख से 15 दिनों से कम नहीं होगी और 30 दिनों से अधिक नहीं होगी, उपस्थित हो सकता है।

(2) नोटिस में निर्दिष्ट तारीख को, वह व्यक्ति या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

(3) उप-नियम (2) के अधीन, यदि व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि आरोपों को स्वीकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी अपने आदेश में प्रतिवादी की ऐसी स्वीकारोक्ति के साथ-साथ लगाए गए जुर्माने की मात्रा को ऐसे प्रारूप में बताएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, और आदेश की एक प्रति संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ-साथ उस व्यक्ति को भी भेजेगा जिसने मामला दर्ज कराया है, यदि लागू हो।

(4) उप-नियम (3) के अंतर्गत न आने वाले मामलों में, न्यायनिर्णायक अधिकारी जांच के लिए तारीख नियत करेगा तथा मामले के प्रस्तुतीकरण के लिए संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को इसकी सूचना देगा।

(5) निर्धारित तिथि को, न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा, जिन्हें वह जांच के लिए प्रासंगिक समझे।

(6) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (5) के अधीन अपेक्षित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष पर्याप्त कारण के बिना उपस्थित होने में असफल रहता है या इंकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच की कार्यवाही कर सकेगा।

(7) ऐसी जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाने और उपस्थिति कराने की शक्ति होगी, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्दिष्ट है:

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसकी जांच करना;

(ख) दस्तावेजों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की खोज और उनकी प्रस्तुति की आवश्यकता; और

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।

(8) संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा मामले के प्रस्तुतीकरण, उस व्यक्ति द्वारा अपने बचाव में दी गई दलील और ऐसी जानकारी के यथावश्यक अभिलेखीकरण पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी या तो आरोप को खारिज कर देगा या ऐसा अन्य आदेश देगा जो वह उचित समझे।

(9) न्यायनिर्णायक अधिकारी के सभी आदेश वाचनात्मक आदेश होंगे, भले ही ऐसे आदेश द्वारा जुर्माना लगाया गया हो या नहीं।

(10) न्यायनिर्णायक अधिकारी उपनियम (4) के अधीन नियत तारीख से तीन माह के भीतर प्रत्येक मामले का न्यायनिर्णयन पूरा करेगा, जिसे पर्याप्त कारण होने पर तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है।

(11) यदि नियम 37 के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त मामले की विषय-वस्तु, मामले की प्राप्ति की तारीख को राष्ट्रीय हरित अधिकरण या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी अन्य न्यायालय के समक्ष पहले से ही विचाराधीन है, तो इस नियम के अधीन कार्यवाही न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा समानांतर रूप से आरंभ की जाएगी तथा नियम 41 में यथानिर्दिष्ट आदेश पारित किया जाएगा, जब तक कि ऐसी कार्यवाही पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण या किसी अन्य न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से रोक न लगा दी गई हो।

नियम 39 मामलों और कार्यवाहियों का स्थानांतरण

(1) यदि मामला ऐसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के समक्ष लाया जाता है, जिसे नियम 37 के उपनियम (3) के अनुसार उस पर विचार करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, तो वह उस मामले को ऐसे मामले की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, ऐसे विश्वास के कारणों सहित, ऐसे प्रारूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को स्थानांतरित कर देगा।

(2) यदि नियम 38 के अधीन जांच करने पर, अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर न्यायनिर्णायक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है जिस पर किसी अन्य न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, विचार किया जाना चाहिए तो वह मामले को मामले की प्रति और कार्यवाही के अभिलेख के साथ, ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऐसे अधिकारी को स्थानांतरित कर देगा।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, जिसे ऐसा मामला स्थानांतरित किया गया है, अपने विवेकानुसार, सम्पूर्ण मामले की सुनवाई प्रारम्भ से पुनः कर सकता है।

(4) यदि कार्यवाही के दौरान यह पाया जाता है कि किसी कार्यवाही की विषय-वस्तु पर पहले ही निर्णय हो चुका है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही को सरसरी तौर पर खारिज कर देगा।

नियम 40 – नोटिस भेजने का तरीका

किसी व्यक्ति को जारी किया गया प्रत्येक नोटिस उसे निम्नलिखित तरीके से भेजा जाएगा, अर्थात्:

(1) उस व्यक्ति को पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर, जहां उसने लाभ हेतु व्यवसाय या व्यक्तिगत कार्य किया था अथवा अंतिम बार किया था, पर भेजा जाएगा; या

(2) यदि उपलब्ध हो तो व्यक्ति के पंजीकृत ईमेल पर भेजा जाएगा;

(3) जहां इसे खंड (क) या जहां भी लागू हो, (ख) के तहत भेजा नहीं जा सकता है, ऐसे प्रत्येक नोटिस को उस परिसर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य विशिष्ट भाग पर चिपका दिया जाएगा जिसमें वह व्यक्ति रहता है या जिसमें अंतिम बार निवास किया था, या व्यवसाय या व्यक्तिगत रूप से काम किया था या अंतिम बार लाभ के लिए काम किया था और इसकी लिखित रिपोर्ट के साथ नोटिस की जियो-टैग की छवियों के साथ संलग्न की जाएंगी।

नियम 41. न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश –

(1) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में दिनांकित और हस्ताक्षरित किया जाएगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी अपने द्वारा पारित आदेश की एक प्रति चूककर्ता व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार, संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति को भेजेगा, जिसे न्यायनिर्णायक अधिकारी उचित समझे।

(3) इस नियम के अंतर्गत पारित कोई भी आदेश नियम 38 के उपनियम (11) के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा।

नियम 42. न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील :

(1) इस अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश (आदेशों) के विरुद्ध सभी अपीलें, इस अधिनियम की धारा 45ग के अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के तहत स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को की जाएंगी।

(2) यदि मामला दर्ज करने वाला व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है, तो वह भी, जहां तक यह व्यवहार्य हो, इस अधिनियम की धारा 45ख के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

नियम 43. जुर्माने की राशि निर्धारित करते समय विचार किए जाने वाले कारक

(1) न्यायनिर्णायक अधिकारी, धारा 45ख के अंतर्गत जुर्माने की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय अधिनियम की धारा 45ख की उपधारा (2) में उल्लिखित कारकों के अतिरिक्त सभी या निम्नलिखित किन्हीं कारकों पर भी समुचित ध्यान देगा, यथा:

क. परियोजना के संचालन का स्थान

ख. परियोजना का आकार-बड़ा/मध्यम/छोटा

ग. उद्योग की श्रेणी

घ. अवज्ञा/उल्लंघन का प्रकार जैसे:

i. पर्यावरण मंजूरी के बिना काम करना

ii. पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और निस्सरण मानकों का अनुपालन न करना

iii जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत जारी किसी भी निर्देश का अनुपालन न करना।

iv. पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन

v. आदेशों/निर्देशों की किसी प्रकार की अवज्ञा/उल्लंघन/गैर-अनुपालन

ड. मानक से विचलन/उल्लंघन की मात्रा

च. स्वास्थ्य पर होने वाले संभावित प्रभाव/नुकसान

छ. उल्लंघन या गैर-अनुपालन से प्राप्त अनुचित लाभ/फायदे

ज. उल्लंघन या गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप अर्जित अनुपातहीन लाभ या अनुचित लाभ की राशि, जहां कहीं भी गणना की जा सके;

झ. उल्लंघन या गैर-अनुपालन को दोहराने की प्रकृति;

ञ. कोई अन्य कारक जिसे न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक माना जाए।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत लगाया गया जुर्माना/अतिरिक्त जुर्माना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 17 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 45 के अधीन राहत या क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के दायित्व के अतिरिक्त होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन उल्लिखित मामलों के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाया गया जुर्माना ऐसे जुर्माने या क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा, न कि उसके स्थान पर होगा।

नियम 44. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए गई शास्ति/अतिरिक्त शास्ति का भुगतान करने में विफलता :

क. इस अधिनियम की धारा 48 के तहत लगाई गई शास्ति का भुगतान 90 दिनों के भीतर करने में विफल रहने के मामले में, ऐसे व्यक्ति को कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, जो शास्ति की राशि के दोगुने तक हो सकता है, या दोनों से दंडित होगा। न्यायनिर्णायक अधिकारी, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को उपर्युक्त 90 दिनों के बीत जाने के बाद 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला न्यायालय में व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देगा। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी न्यायनिर्णायक अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला न्यायालय में उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

ख. इस अधिनियम की धारा 41, 42, 43, 45 और 45क के तहत अधिरोपित शास्ति का भुगतान 90 दिनों के भीतर करने में विफलता के मामले में, न्यायनिर्णायक अधिकारी अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित करेगा। इस अधिनियम की धारा 41, 42, 43, 45 और 45क के तहत अधिरोपित अतिरिक्त शास्ति का भुगतान 90 दिनों के भीतर करने में विफल रहने के मामले में, ऐसे व्यक्ति/कंपनी को कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, जो शास्ति की राशि के दोगुने तक हो सकता है, या दोनों से दंडित होगा। न्यायनिर्णायक अधिकारी, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को उपर्युक्त 90 दिनों के बीत जाने के बाद 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला न्यायालय में उक्त व्यक्ति/कंपनी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देगा। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी, न्यायनिर्णायक अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला न्यायालय में उक्त व्यक्ति/कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

नियम 45. पर्यावरण संरक्षण निधि में जमा की जाने वाली राशि

(क) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 के अंतर्गत लगाया गया कोई भी जुर्माना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 16 के अंतर्गत बनाए गए पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त रूप से अर्जित निधि का उपयोग और प्रबंधन, यथासंशोधित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

(ग) इस निधि का अधिरोपण, संग्रहण एवं उपयोग, पर्यावरण संरक्षण नियम के नियम 17(2) के अंतर्गत विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अंतर्स्थापित जाएगा।

4. फॉर्म XV के पश्चात् निम्नलिखित फॉर्म अंतर्स्थापित किए जाएंगे:

प्रारूप XVI: जल अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन न करने संबंधी शिकायत (या) उल्लंघन का प्रारूप

(नियम 37 देखें)

भाग क

जल अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन न करने संबंधी शिकायत (या) उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

1. अनुपालन न करने संबंधी शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम (स्पष्ट अक्षरों में):

2. पहचान प्रमाण प्रस्तुत किया जाना:

नोट: निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज़ पहचान के वैध प्रमाण के रूप में माना जाएगा:

ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और मास्क्ड आधार कार्ड।

3. आयु

4. लिंग

5. राष्ट्रीयता

नोट: यदि अनुपालन न करने संबंधी शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, तो पहचान प्रमाण के रूप में केवल पासपोर्ट की प्रति ही स्वीकार की जाएगी।

6. स्थायी पता

मकान/संपत्ति संख्या: _____

स्थानीय गांव: _____

जिला: _____

शहर:_____

राज्य: _____

देश: _____

पिन कोड/पोस्टल या जोनल कोड: _____

7. पत्राचार पता

मकान/संपत्ति संख्या: _____

स्थानीय गांव: _____

जिला: _____

शहर:_____

राज्य: _____

देश: _____

पिन कोड/पोस्टल या जोनल कोड: _____

8. व्यवसाय/पदनाम

9. कार्यालय का पता

10. टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर:

11. ईमेल पता:

12. व्यक्ति/कंपनी/सरकारी विभाग का विवरण, जिसके विरूद्ध अनुपालन न करने संबंधी शिकायत दर्ज की गई हो:

_____

_____

_____

13. गैर अनुपालन करने संबंधी शिकायत की प्रस्तुति का तरीका

___ व्यक्तिगत रूप से

___ डाक द्वारा

___ ऑनलाइन पोर्टल

14. अधिनियम, नियमों, आदेशों और दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधान जिनके उल्लंघन का आरोप लगाया गया है:

_____

_____

15. अनुपालन न करने संबंधी विवरण :

संलग्नक :

क्र. सं.	**दस्तावेज़**	**क्या संलग्न है (हां/नहीं)**
1.	पहचान का प्रमाण	
2.	विधिवत नोटरीकृत शपथपत्र (जैसा कि भाग ख में दर्शाया गया है)	
3.	सहायक दस्तावेज़ (यदि कोई हो)	

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसने न करने संबंधी रिपोर्ट अनुपालन दर्ज की है/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान :

तारीख :

भाग ख

वचनबंध

मैं _____ आयु _____ वर्ष, पुत्र _____ निवासी _____, शपथ द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि:

1. कि मैं अपनी ओर से यह अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट दाखिल कर रहा हूं

या

यह कि मैं यह अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट निकाय/बोर्ड/निगम/प्राधिकरण/ कंपनी/सोसाइटी/ट्रस्ट/व्यक्तियों के संघ/गैर-सरकारी संगठन/सीमित देयता भागीदारी (इसका नाम और पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो, दें) की ओर से दाखिल कर रहा हूं, जिनका कार्यालय (संगठन का संपर्क पता/ई-मेल/फोन/फैक्स दें) पर है और यह कि मैं इसके दिनांक _____ के प्राधिकार द्वारा इस अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने और इसे तैयार करने के लिए अधिकृत हूं।

2. यह कि मैंने यथा-संशोधित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट दायर की है।

3. यह कि प्रपत्र के भाग-क में उल्लिखित अनुपालन न करने संबंधी विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य हैं, तथा मैंने सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिए हैं।

4. मैं यह उल्लेख करता हूँ कि इस अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट को दाखिल करने से पहले मैंने अपनी सर्वोत्तम जानकारी, योग्यता और क्षमता के अनुसार सूचना और सहायक साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं जो _____ के विरुद्ध अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट के समर्थन में प्रासंगिक हैं और मैं आगे पुष्टि करता हूँ कि मैंने इस अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट में कोई डेटा/सामग्री/सूचना नहीं छिपाई है ।

इस दिन _____ को _____ पर सत्यनिष्ठा से पुष्टि की गई।

शपथकर्ता

प्रपत्र XVII: नोटिस

नियम 38(1) देखें

भाग क

प्रतिवादी को नोटिस

सेवा में:

प्रतिवादी का नाम :

पता:

सम्पर्क विवरण :

1. आपको यह सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के साथ पठित _____ के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट पंजीकृत की गई है, जिसकी एक प्रति इस नोटिस के साथ संलग्न है।

2. आपको एतदद्वारा व्यक्तिगत रूप से, या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, _____ को _____ (पता) पर न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है।

3. कृपया यह भी ध्यान दें कि उपर्युक्त तिथि को आपके उपस्थित न होने की स्थिति में मामले की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर और मुहर के साथ, इस _____दिन को जारी किया।

न्यायनिर्णायक अधिकारी

भाग ख

प्रेजेंटिंग अधिकारी को नोटिस

सेवा में

प्रेजेटिंग अधिकारी

_____

_____

1. आपको यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांक _____ के पत्र/ज्ञापन संख्या _____ के माध्यम से पंजीकृत और अग्रेषित अनुपालन न करने वाली रिपोर्ट पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा _____ को _____ (पता) पर सुनवाई की जाएगी।

2. आप (या) परिशिष्ट-क के अनुसार अधिकृत प्रतिनिधि को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने (या) उल्लंघन करने के संबंध में संज्ञान लेने के लिए मामले पर कार्यवाही के दौरान उपस्थित होना और मामला प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर और मुहर के साथ, इस _____दिन जारी किया गया।

न्यायनिर्णायक अधिकारी

प्रपत्र XVIII: नियम 38(9) के तहत आदेश का प्रारूप

नियम 38 (9) देखें

अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट की आईडी : _____

दिनांकित : _____

प्रेजेटिंग अधिकारी : _____

प्रतिवादी : _____

1. जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, मामले में पक्षकार _____ को दिनांक _____ पर न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए।

यदि प्रतिवादी प्रावधानों का अनुपालन न करना स्वीकार करता है, तो निम्नलिखित पैराग्राफ 2 को शामिल किया जाएगा:

2. नियम 38 के उप-नियम (9) के अंतर्गत, प्रतिवादी ने उसके विरुद्ध दर्ज अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट शिकायत को स्वीकार किया है, और इस प्रकार उस पर जुर्माना लगाया जाता है, जिसे उसके द्वारा कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के अनुसार जमा किया जाएगा।

3. पक्षकारों को सुनने तथा प्रस्तुत दस्तावेजों और अन्य सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है:

_____

_____

_____

यदि लागू हो:

4. उपर्युक्त कारणों से, प्रतिवादी पर _____ जुर्माना लगाया जाता है, जिसे उसके द्वारा कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के अनुसार जमा किया जाएगा।

4. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत निर्धारित जुर्माना या अतिरिक्त जुर्माना अदा करने में विफल रहने की स्थिति में प्रतिवादी अधिनियम की धारा 45क के प्रावधानों के तहत आगे के अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

5. अनुपालन न करने संबंधी शिकायत का निपटान उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर और मुहर के साथ इस _____दिन को जारी किया गया।

न्यायनिर्णायक अधिकारी

प्रपत्र XIX

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा गैर-अनुपालन के हस्तांतरण का प्रारूप

नियम 39 (1) देखें

सेवा में

प्रेजेंटिंग अधिकारी

(जिसे अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट को हस्तांतरित किया जाना है)

अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट की आईडी : _____

दिनांकित: _____

प्रतिवादी : _____

1. कृपया को अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक_____ को प्राप्त अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट संलग्न है।

2. अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि अनुपालन न करने संबंधी मामला उपरोक्त प्रेजेंटिंग अधिकारी के विनियामक क्षेत्राधिकार में आता है।

3. अतः अनुरोध है कि इस अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट को पंजीकृत किया जाए तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाए।

संलग्न..

1. अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट की प्रतिलिपि

2. आवश्यक दस्तावेज (जहां भी लागू हो)

प्रेजेंटिंग अधिकारी का अधिकृत प्रतिनिधि

(नाम और पता)

(हस्ताक्षरित, दिनांकित और मुहर लगी हुई)

फॉर्म XX

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट के हस्तांतरण का प्रारूप

नियम 39 (2) देखें

सेवा में

न्यायनिर्णायक अधिकारी (केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) (जिन्हें कार्यवाही रिपोर्ट हस्तांतरित की जानी है)

अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट की आईडी : _____

दिनांकित : _____

प्रतिवादी : _____

1. ऊपर बताए गए अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट को _____ को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, और इस पर निर्णय लिया जा रहा था।

2. कार्यवाही के दौरान यह पाया गया है कि अनुपालन न करने संबंधी विषय आपके अधिकार क्षेत्र में आता है।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, मामले से संबंधित सभी दस्तावेज और कार्यवाही के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि विधिवत हस्तांतरित की जा रही है।

4. अनुरोध है कि इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाए।

संलग्न..

1. अनुपालन न करने संबंधी रिपोर्ट की प्रतिलिपि

2. कार्यवाही के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि

(जहां भी लागू हो)

यह मेरे हस्ताक्षर और मुहर के साथ, इस _____दिन को जारी किया गया।

न्यायनिर्णायक अधिकारी

परिशिष्ट क

प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की सूची

क्रमांक	अधिकारी	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सदस्य सचिव या उनके अधिकृत प्रतिनिधि।	सीएक्यूएम का क्षेत्राधिकार
2.	जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य-सचिव या उनके अधिकृत प्रतिनिधि।	सम्पूर्ण भारत
3.	जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 तथा वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 5 के अंतर्गत गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि	सम्पूर्ण राज्य
4.	संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अंतर्गत अधिसूचित समिति के सदस्य सचिव या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र
5.	जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के अंतर्गत गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	उनके संबंधित क्षेत्र के भीतर
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी जिन्हें जल (प्रदूषण के	राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित क्षेत्र

क्रमांक	अधिकारी	क्षेत्राधिकार
	निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 20, 21 और 23 के अंतर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	
7.	प्रदूषण नियंत्रण समिति के क्षेत्रीय अधिकारी जिन्हें जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 20, 21 और 23 के अंतर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित क्षेत्र
8.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों (एसआरओ) के वैज्ञानिक 'बी', 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ' और 'जी'।	आरओ और एसआरओ के संबंधित क्षेत्राधिकार
9.	कलेक्टर या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	संपूर्ण राजस्व जिला
10.	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट या उसका अधिकृत प्रतिनिधि	सम्पूर्ण उप-प्रभाग
11.	गंगा परियोजना निदेशालय का कोई भी क्षेत्रीय/आंचलिक अधिकारी या क्षेत्र/अंचल का प्रभारी निदेशक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि	गंगा परियोजना निदेशालय द्वारा निर्धारित आंचलिक/क्षेत्रीय क्षेत्र
12.	गंगा परियोजना निदेशालय में भारत सरकार का कोई उप सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव या अपर सचिव या उसका अधिकृत प्रतिनिधि	सम्पूर्ण राज्य जिसमें गंगा कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है
13.	बीज निरीक्षक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि।	बीज नियंत्रक आदेश, 1983 कं खंड 12 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित क्षेत्र

[फा. सं. क्यू-15012/1/2022-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2024

G.S.R. 424(E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by Section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (06 of 1974), amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules 1975, is hereby published for information of the public and other stakeholders likely to be affected. Further, notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, JorBagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or electronically at email address: mishra.vp@gov.in or diriapolicy-moefcc@nic.in or prasoon.tripathi76@gov.in

G.S.R….(E)—In exercise of the powers conferred by clause (ma) of sub-section (2) of Section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (06 of 1974), the Central Government, hereby makes the following rules to further amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975:

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Water (Prevention and Control of Pollution) (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In Rule 2, the following shall be inserted:

(1) After clause (a), the following clauses may be inserted:

"(aa) "Adjudicating Officer" means any officer appointed/notify under section 45B of the Act;

(2) After clause (g), the following clauses may be inserted:

(ga) "Presenting Officer" means the officers (or) their authorized representative as per **Appendix –A** for taking cognizance of non-compliance (or)contravention of the provisions of the Act within their respective jurisdiction and for initiating and presenting the matter before the concerned Adjudicating Officer."

(3) After sub-rule (j), the following sub-rule shall be inserted:

"(ja) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act and Rules made thereunder shall have the same meaning as assigned to them in the Act and the said rules, as the case may be."

3. After Chapter XI and rule 35, the following Chapter and rules shall be inserted, namely:

Chapter XII

RULE 36. APPOINTMENT OF ADJUDICATING OFFICER

(1) The Secretary in-charge of the Environment Department of the State Government / Union Territory Administration (or) any other officer not below the rank of Secretary to the State Government nominated by the State Government and Union Territory Administration shall be the *ex-officio* Adjudicating Officer for the respective State and Union Territories.

(2) The Central Government may appoint (i) Adjudication Officer at Central level not below the level of Joint Secretary to the Government of India and (ii) more than one Adjudicating Officer, not below the level of Secretary to the State Government, in a State / Union Territory, either on its own motion or on a written request by the concerned State Government and Union Territory Administration.

(3) The Adjudicating Officer may be provided with requisite manpower assistance, office space and technical assistance by the Central Government / State Government / Union Territory Administration as the case may be.

RULE 37: COGNIZANCE AND PROCESSING OF MATTERS

(1) No Adjudicating Officer shall take cognizance of any non-compliance or contravention of the provisions of this Act, or the rules made or orders or directions issued thereunder, unless such matter is initiated by the Presenting Officer, along with all necessary documents, either on its own motion or on receipt of a representation.

(2) The Officers authorized for taking cognizance of any non-compliance or contravention of the provisions of this Act, within their respective jurisdiction shall present the matter before the concerned Adjudicating Officer of the State / Union Territory, as per the jurisdiction mentioned therein. The list of Officers is provided in the **Appendix-A**.

(3) The Presenting Officer shall, before forwarding the matter under Rule 37 (1) to the Adjudicating Officer, process the same exercising reasonable due diligence, in order to bring on record all relevant facts and circumstances that need to be taken into account for imposing penalty, and also to ascertain if it is a matter necessary for adjudication.

RULE 38: MANNER OF INQUIRY BY ADJUDICATING OFFICER

(1) Within 30 days of receipt of a matter, the Adjudicating Officer shall issue notice to the concerned Presenting Officer as well as to the person against whom non-compliance or contravention is alleged, along

with the particulars of the matter against him clearly specifying the nature of non-compliance or contravention, and such person may either appear personally or through an authorised representative, on such date as specified, which shall not be less than 15 days from the date of notice issued and shall not exceed 30 days, in such format as may be prescribed by the Central Government.

(2) On such date as specified in the Notice, the person or his authorized representative may admit or deny the allegations levelled against him, before the Adjudicating Officer.

(3) Under sub-rule (2), if the person or his representative admits to the allegations, the Adjudicating Officer shall state in his order such admission of the respondent, along with the quantum of penalty imposed in such format as may be prescribed by the Central Government, and send a copy of the order to the concerned Presenting Officer as well as the person who has lodged the matter, if applicable.

(4) In cases not covered under sub-rule (3), the Adjudicating Officer shall fix a date for inquiry and communicate the same to the concerned Presenting Officer, for presentation of the matter.

(5) On the date fixed, the Adjudicating Officer shall give an opportunity to the person to produce documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry.

(6) If any person fails or refuses to appear before the Adjudicating Officer as required by sub-rule (5) without sufficient cause, the Adjudicating Officer may proceed with the inquiry in the absence of such person.

(7) While holding such inquiry, the Adjudicating Officer shall have power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the matter to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the Adjudicating Officer, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

Explanation: For the purposes of this sub-rule, the Adjudicating Officer shall have the following powers of a Civil Court, as specified in the Civil Procedure Code, 1908:

(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) Requiring the discovery and production of documents or other electronic records; and

(c) Receiving evidence on affidavits.

(8) On presentation of matter by the concerned Presenting Officer, defense given by the person and recording of such information as necessary, the Adjudicating Officer shall either dismiss the allegation or make such other order as it deems fit.

(9) All orders of the Adjudicating Officer shall be speaking orders, irrespective of whether penalty has been imposed by such order or not.

(10) The Adjudicating Officer shall complete the adjudication of every matter within three months from the date fixed under sub-rule (4), which is extendable up to three more months if sufficient cause exists.

(11) If the subject-matter of the matter received under sub-rule (1) of Rule 37 is already in question before the National Green Tribunal or any other Court of competent jurisdiction on the date of receipt of the matter, the proceedings under this Rule shall be initiated by the Adjudicating Officer in parallel and pass order as indicated in Rule 41 unless such proceedings have been explicitly stayed by the National Green Tribunal or any other Court.

RULE 39 TRANSFER OF MATTERS AND PROCEEDINGS

(1) If the matter is made to a Presenting Officer which does not have jurisdiction to entertain it as per sub-rule (3) of Rule 37, it shall transfer the matter to the concerned Presenting Officer within fifteen days of the receipt of such matter, along with reasons of such belief, in such format as may be prescribed by the Central Government.

(2) If on inquiry under Rule 38, it appears to the Adjudicating Officer at any stage of the proceedings before signing the final order, that the case is one which ought to be tried by any other Adjudicating Officer, as the case may be, he shall transfer the case to such officer along with the copy of matter and a record of proceedings, in such format as may be prescribed by the Central Government.

(3) The Adjudicating Officer to whom such case is transferred may, in his discretion, re-hear the entire case from its inception.

(4) If in the course of proceedings, it is found that the subject matter of any proceedings is already adjudicated upon, the Adjudicating Officer shall summarily dismiss the proceedings.

RULE 40 MANNER OF SERVICE OF NOTICE

Every notice issued to a person shall be served on him in the following manner, namely:

(1) By sending it to the person by registered post with acknowledgement due, to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works, or last worked, for gain; or

(2) By sending it to the registered email of the person, if available;

(3) Where it cannot be served under clause (a) or wherever applicable, (b), every such Notice shall be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided, or carried on business or personally works or last worked for gain and the written report thereof shall be accompanied by the geo-tagged images of the notice.

RULE 41 ORDER OF THE ADJUDICATING OFFICER

(1) Every order passed by the Adjudicating Officer shall be dated and signed by the Adjudicating Officer, in such format as may be prescribed by the Central Government.

(2) The Adjudicating Officer shall send a copy of the order passed by him to the person in default, the Central Government, the concerned presenting officer, the person lodging the matter and any other person which the Adjudicating Officer considers appropriate.

(3) Any order passed under this Rule shall be subject to the outcome of any proceedings mentioned under sub-rule (11) of Rule 38.

RULE 42 APPEALS FROM THE ORDER OF THE ADJUDICATING OFFICER

(1) All appeals from the order(s) passed by the Adjudicating Officer under the Act shall lie to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), as per Section 45C of this Act.

(2) If the person who has lodged the matter is aggrieved by the order of the Adjudicating Officer, he shall also follow the process under Section 45C of the Act, so far as it may be practicable.

RULE 43. FACTORS TO BE CONSIDERED WHILE DETERMINING QUANTUM OF PENALTY

(1) The Adjudicating Officer, while adjudicating the quantum of penalty under section 45B shall have due regard to all or any the following factors in addition to factor stated in Sub-Section (2) of Section 45B of the Act, namely:

a. Place of operation of project

b. Size of the Project-large/medium/small

c. Category of industry

d. Type of contravention/violation such as:

i. Working without Environment Clearances

ii. Non-compliance of Environmental safeguards and discharge standards

iii. Non-compliance of any directions issued under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

iv. Violation of conditions of Environment Clearances

v. Any other contraventions/violations/non- compliances of orders/directions

e. Quantum of deviation/ contravention from the standard

f. Health impacts/loss likely to be caused

g. Undue gain/benefit derived out of contravention or non-compliance

h. The amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention or non-compliance;

i. the repetitive nature of the contravention or non-compliance;

j. Any other factor as may be considered by the Adjudicating Officer to be relevant for the protection of environment.

(2) The penalty /additional penalty as imposed by the Adjudicating Officer under this Act shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under section 45 of this Act read with section 17 of the National Green Tribunal Act, 2010.

(3) For matters mentioned under sub-section (2), the penalty imposed by the Adjudicating Officer shall be in addition to, and not in substitution of such penalty or compensation.

RULE 44. FAILURE TO PAY PENALTY / ADDITIONAL PENALTY IMPOSED BY THE ADJUDICATING OFFICER

a. In case of failure to pay penalty imposed under Section 48 of the Act within 90 days, such person shall be liable for imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or with both. The Adjudicating Officer shall direct the concerned SPCB /PCC to initiate criminal proceedings against the person in the concerned District Court within 30 days after the lapse of 90 days as mentioned above. The concerned SPCB / PCC shall initiate the proceedings against the person in the concerned District Court within 30 days from the date of receipt of direction from Adjudicating Officer.

b. In case of failure to pay penalty imposed under Section 41,42,43,44 and 45A of the Act within 90 days, the Adjudicating Officer shall impose Additional penalty. In case of failure to pay Additional penalty imposed under section 41,42,43,44 and 45A of the Act within ninety days, such person / company shall be liable for imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or with both. The Adjudicating Officer shall direct the concerned SPCB / PCC to initiate criminal proceedings against the person / company in the concerned District Court within 30 days after the lapse of 90 days as mentioned above. The concerned SPCB / PCC shall initiate the proceedings against the person/company in the concerned District Court within 30 days from the date of receipt of direction from Adjudicating Officer

RULE 45. AMOUNT TO BE CREDITED IN THE ENVIRONMENT PROTECTION FUND

(a) Any penalty levied under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975 shall be credited to Environment Protection Fund created under section 16 of the Environment (Protection) Act, 1986.

(b) The utilization and administration of fund accrued as above shall be governed by provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and Environment (Protection) Rules 1986, as amended.

(c) The imposition, collection and utilization of this fund shall be done through the online portal developed under Rule 17 (2) of the Environment Protection Rules.

4. After Form XV, the following forms shall be inserted:

FORM XVI: FORMAT OF NON-COMPLIANCE (OR) CONTRAVENTION OF THE PROVISIONS OF THE WATER ACT

(See Rule 37)

Part A

DETAILS TO BE FURNISHED BY THE PERSON LODGING THE NON-COMPLIANCE (OR) CONTRAVENTION OF THE PROVISIONS OF THE WATER ACT

1. Name of the Person lodging the non-compliance (In Block Letters):
2. Proof of Identity Furnished:

Note: Any of the following documents will be considered as a valid proof of identity:

Driving License, Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Government/Public Sector Undertaking/Public Limited Company, Passbook with photograph issued by a Bank/Post Office, PAN Card, Smart Card issued by Registrar General of India under National Population Register, MNREGA Job Card, Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour, Pension document with photograph, Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs, and masked Aadhaar Card.

3. Age
4. Gender
5. Nationality

Note: In case the person who has lodged the non-compliance is not a citizen of India, only a copy of the Passport will be accepted as a proof of identity

6. Permanent Address

House/Property Number: _____

Locality Village: _____

District: _____

City:_____

State: _____

Country: _____

Pin Code/Postal or Zonal Code: _____

7. Correspondence Address

House/Property Number: _____

Locality Village: _____

District: _____

City:_____

State: _____

Country: _____

Pin Code/Postal or Zonal Code: _____

8. Occupation/ Designation
9. Office Address
10. Telephone Number/Mobile Number:
11. Email Address:
12. Details of Person/Company/Government Department against whom non-compliance is made:
    _____
    _____
    _____
13. Mode of Presentation of non-compliance

    ___ In-Person

    ___ By Post

    ___ Online Portal
14. The relevant provisions of Act, rules, orders and directions the contravention of which is alleged:
    _____
    _____
15. Particulars of non-compliance:
    _____
    _____

Enclosures:

S. No.	Document	Whether enclosed (Yes/No)
1.	Identity Proof	
2.	Duly Notarized Affidavit (as indicated in Part B)	
3.	Supporting Documents (if any)	

Signature of the Person who has lodged the non-compliance/Authorized Signatory

Place:

Date:

Part B

UNDERTAKING

I _____ aged _____ years, S/o _____ Resident of _____do here by solemnly affirm and declare on oath as under-

1. That I am filing this non-compliance on my own behalf

OR

That I am filing this non-compliance on behalf of body/Board/ Corporation/ Authority/ Company/ society/trust/association of persons/Non-Governmental Organisation/ Limited Liability Partnership (give its name and registration number, if any) having their office at (give contact address/email/phone/fax of the organization) and that I am authorized to sign and make this non-compliance vide its authorisation dated _____.

2. That I have filed the present non-compliance under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended from time to time.

3. That particulars of the non-compliance mentioned in Part A of this Form are true to the best of my knowledge, and I have enclosed all necessary documents.

4. I state that before filing this non-compliance I have collected the information and supporting evidence to the best of my knowledge, ability and capacity which are relevant in support of the non-compliances against _____ and I further confirm that I have not concealed any data / material / information in this non-compliance.

Solemnly affirmed at _____ on this day _____ of _____.

DEPONENT

FORM XVII: NOTICE

See RULE 38(1)

Part A

NOTICE TO THE RESPONDENT

To:

Name of the Addressee:

Address:

Contact Details:

1. TAKE NOTICE that a non-compliance is registered against you by the Presenting Officer at _____ under the provisions of _____ read with Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, a copy of which has been attached with this Notice.

2. You are hereby called upon to appear before the Adjudicating Officer in person, or through an authorized representative, on _____ at _____ (Address).

3. Take further notice that, in default of your appearance on the day aforementioned, the matter will be heard and determined in your absence.

GIVEN under my hand and the seal, on this _____ day of _____.

Adjudicating Officer

Part B

NOTICE TO THE PRESENTING OFFICER

To

The Presenting Officer

_____
_____

1. TAKE NOTICE that the non-compliance registered and forwarded by you vide Letter/Memo No. _____ dated _____ shall be heard by the Adjudicating Officer on _____ at _____ (Address).

2. You (or) the authorized representative as per Appendix – A for taking cognizance of non-compliance (or) contravention of the provisions of the Act within their respective jurisdiction are required to attend the proceedings and present the case.

GIVEN under my hand and the seal, on this _____ day of _____.

Adjudicating Officer

FORM XVIII: FORMAT OF ORDER UNDER RULE 38 (9)

See RULE 38 (9)

Non-compliance ID: _____

Dated: _____

Presenting Officer: _____

Respondent: _____

1. That, in the matter as indicated above, the parties appeared before the Adjudicating Officer on _____ at _____.

If the respondent admits to the non-compliance, the following paragraph 2 would be included:

2. Under sub-Rule (9) of Rule 38, the respondent has admitted to the non-compliance registered against him, and as such the following penalty is imposed on him, _____, which shall be deposited by him according to the timeline stipulated under law.

3. After hearing the parties and perusing documents and all other evidence as presented, the following order is made:

_____
_____
_____

If applicable:

4. For reasons as aforesaid, the following penalty is imposed on the respondent, _____, which shall be deposited by him according to the timeline stipulated under law.

4. In case of failure to pay the penalty or additional penalty, as required by the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the respondent shall become liable under the provisions of Section 45A of the Act for further prosecution.

5. Non-compliance is disposed of in the aforementioned terms.

GIVEN under my hand and the seal, on this _____ day of _____.

Adjudicating Officer

FORM XIX

FORMAT OF TRANSFER OF NON-COMPLIANCE BY PRESENTING OFFICER

SEE RULE 39 (1)

To

The Presenting Officer

(to whom non-compliance is to be transferred)

Non-compliance ID: _____

Dated: _____

Respondent: _____

1. Please find attached non-compliance received by the undersigned on _____.

2. On perusal of the non-compliance, it is found that the non-compliance falls within the regulatory jurisdiction of the Presenting Officer addressed above.

3. It is, therefore, requested to register this non-compliance, and take any further action that may be necessary.

Encl..

1. Copy of the non-compliance

2. Necessary documents (wherever applicable)

Authorized Representative of the Presenting Officer

(Name and Address)

(Signed, dated and stamped)

FORM XX

FORMAT OF TRANSFER OF PROCEEDINGS BY ADJUDICATING OFFICER

SEE RULE 39 (2)

To

The Adjudicating Officer (Centre/State/UT) (to whom proceedings are to be transferred)

Non-compliance ID: _____

Dated: _____

Respondent: _____

1. The non-compliance as indicated above was brought before the undersigned on _____, and was being adjudicated.

2. During the course of proceedings, it has been found that the subject-matter of the non-compliance falls within your jurisdiction.

3. In view of the above, all case documents and a certified copy of record of proceedings are being duly transferred.

4. It is requested that further necessary action may be taken in the matter.

Encl..

1. Copy of the non-compliance

2. Certified Copy of record of proceedings

(wherever applicable)

GIVEN under my hand and the seal, on this _____ day of _____.

Adjudicating Officer

APPENDIX A

LIST OF PRESENTING OFFICERS

Sr. No.	**Officer**	**Jurisdiction**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	The Member Secretary of the Commission for Air Quality Management (CAQM) in National Capital Region and Adjoining Areas or his authorized representative.	Jurisdiction of CAQM
2.	The Member-Secretary of the Central Pollution Control Board constituted under section 3 of the Water (Presentation and Control of pollution) Act, 1974 (6 of 1974) or his authorized representative.	Whole of India
3.	The Member Secretary of the State Pollution Control Board constituted under Section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and under Section 5 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) or his authorized representative.	Whole of State
4.	The Member Secretary of the Committee notified under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) in respect of Union Territories or his authorized representative	Whole of Union Territory
5.	Regional Director of the Central Pollution Control Board constituted under Section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution), Act, 1974 (6 of 1974) or his authorized representative.	Within their respective Zone.
6.	Regional Officers of the State Pollution Control Board who have been delegated powers under Section 20, 21 and 23 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) or his authorized representative	Area as laid down by the State Board
7.	Regional Officers of the Pollution Control Committee who have been delegated powers	Area as laid down by the State Board

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
	under Section 20, 21 and 23 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) or his authorized representative	
8.	Scientist 'B', 'C' 'D', 'E' 'F' and 'G', of Regional Offices (ROs) and Sub Regional Offices (SROs) of the MoEF&CC.	Respective jurisdictions of the ROs and SROs
9.	Collector or his authorized representative.	Whole of Revenue District
10.	Sub-Divisional Magistrate or his authorized representative.	Whole of Sub-Division.
11.	Any regional /Zonal Officers or a Director in charge of a Region/Zone of the Ganga Project Directorate or his authorized representative.	Zonal/Regional area as laid down by the Ganga Project Directorate
12.	Any Deputy Secretary, Director, Joint Secretary or Additional Secretary to the Government of India in the Ganga Project Directions or his authorized representative.	Whole of the State in which the Ganga Action Plan in under implementation
13.	Seed Inspector(s) or his authorized representative.	Area (s) as laid down by the respective State Govts. In the Notification issued under Clause 12 of the Seed controller Order, 1983

[F. No. F No. Q-15012/1/2022-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.07.23 11:40:57 +05'30'